DOON DEFENCE DREAMERS

INDIAN POLITY

Constitution of India and the making of the Constitution

Such an article or document which determines the outline and major functions of the government, it can be called the best basic law of the country. It is the same document that gives powers to all the organs of the state (legislature, executive, judiciary). All three have to discharge their duties by staying within the limits of the constitution. It cannot be changed easily.

भारतीय संविधान एवं संविधान का निर्माण

ऐसा लेख पत्र या दस्तावेज जो सरकार की रुपरेखा व प्रमुख कृत्यों का निर्धारण करता है, इसे देश की सर्वोत्तम आधारभूत विधि कहा जा सकता है। यह वही दस्तावेज है, जो राज्य के समस्त अंगों (विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका) को शक्तियाँ प्रदान करता है। इन तीनो को संविधान की मर्यादाओं में रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होता है। इसे आसानी से बदला नहीं जा सकता है।

The principles or rules of a country whose rule is governed according to the rules and principles are called constitution. The Constitution calls these laws or group of rules, which directly and indirectly determines the distribution and use of the power of the supreme power of the state.	जिस देश का शासन जिन नियमों एवं सिद्धांतों के अनुसार चलता है, उन सिद्धांत या नियमों को समूह को संविधान कहा जाता है। संविधान इन कानूनों या नियमों के समूह को कहते हैं, जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रुप से राज्य की सर्वोच्च सत्ता की शक्ति के वितरण और प्रयोग को निश्चित करता है।

- In the modern era, the first written constitution in the world is the United States of America, which was created after the Philadelphia Conference in 1787.
- The first constitution in Europe was made in the Netherlands which currently exists.

- आधुनिक युग में संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का है जो, 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन के बाद बनाया गया था।
- यूरोप में सबसे पहला संविधान नीदरलैंड में बना जो वर्तमान में विद्यमान है।

- The constitution is considered a fundamental document and the highest law of the country.
- It determines and determines the powers of state organs.
- It restricts today's organs from being autocratic and dictators by restricting their rights.
- The actual constitution is the capital of the hopes and aspirations of the people of the country.

- संविधान एक मौलिक दस्तावेज एवं देश की सर्वोच्च विधि माना जाता है।
- यह राज्य के अंगों की शक्तियों का निर्धारण एवं करता है।
- यह आज के अंगों को अधिकार को मर्यादित कर उन्हें निरंकुश एवं तानाशाह होने से रोकता है।
- वस्तुत का संविधान देश की जनता की आशाओं एवं आकांक्षाओं का पुंज होता है।

Purpose of constitution	संविधान का उद्देश्य
Creating organs of government such as legislature, executive, judiciary etc.	सरकार के अंगो का सृजन करना जैसे – विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका आदि।
Determining the powers of the organs of government such as duties, obligations etc.	सरकार के अंगो की शक्तियों जैसे – कर्तव्यों, दायित्वों आदि को निर्धारित करना।
To clarify the relationship between all the organs of government.	सरकार के सभी अंगो के बीच संबंधोँ को स्पष्ट करना।

- The Constitution was first formed from Athens (Greece). In the modern era, the Constitution of America was made which was in written form.
- England is called the point of origin of parliamentary government and considers the United States as the originator of presidential government, and Switzerland is called the mother of republican democracy.

- संविधान का निर्माण सर्वप्रथम एथेंस (यूनान) से हुआ था। आधुनिक युग में अमेरिका का संविधान बना जो लिखित रुप में था।
- इंग्लैण्ड को संसदीय सरकार का उद्गम स्थान कहा जाता है एवं संयुक्त राज्य अमेरिका को अध्यक्षात्मक सरकार का जन्मदाता मानते हैं, तथा स्विट्ज़रलैंड को गणतंत्रीय लोकतंत्र की जननी कहा जाता है।

- Mentioning fundamental rights and fundamental duties of citizens, directive elements of policy, etc.

Constitutional demand for constitution building

In principle, the idea of the Constituent Assembly was presented by Sir Henry Mann, the British Government, and in practice, the Constituent Assembly was formed in America for the first time for constitution.

- नागरिको के मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्यों, नीति निर्देशक तत्वों आदि का उल्लेख करना।

संविधान निर्माण की क्रमिक मांग

सैद्धांतिक रुप से संविधान सभा का विचार ब्रिटिश सरकार सर हैनरी मैन ने प्रस्तुत किया था तथा व्यवहारिक रुप से सबसे पहले संविधान निर्माण के लिए अमेरिका में संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा के सिद्धांत के दर्शन सर्वप्रथम 1895 के स्वराज विधेयक में होते हैं, जिसे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के निर्देश में तैयार किया गया था।

DOON DEFENCE DREAMERS

- The philosophy of the principle of the Constituent Assembly first appears in the Swaraj Bill of 1895, which was formulated under the direction of Lokmanya Bal Gangadhar Tilak.
- The suggestion of the Constituent Assembly was first stated by Gandhiji in a letter called Harijan in 1922 that the Constitution of India should be the right of Indians to make themselves.

- संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन सर्वप्रथम 1895 के स्वराज विधेयक में दिखाई देता है, जिसे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था।
- संविधान सभा का सुझाव सर्वप्रथम गांधीजी के द्वारा 1922 में हरिजन नामक पत्र में स्पष्ट कहा गया कि भारत का संविधान भारतीयों को स्वयं बनाने का अधिकार होना चाहिए।

MOB NO -8650779069, 7017964370

- The Constitution of India was created by a Constituent Assembly, in June 1934, a definite demand was formally introduced for the Constituent Assembly.
- In the All India Congress session held in Lucknow in 1936, a demand for a Constituent Assembly was presented to make a democratic constitution for India.

- भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा हुआ, जून 1934 में सर्वप्रथम संविधान सभा के लिए औपचारिक रुप से एक निश्चित मांग पेश की गयी थी।
- 1936 में लखनऊ में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन में भारत के लिए प्रजातांत्रिक संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा की मांग प्रस्तुत की गयी।

- The British Government officially accepted the demand for the Constituent Assembly for the first time in August 1940.
- The Cripps Resolution 1942 clearly states the outline of the Constituent Assembly.
- In 1946, the British Cabinet delegation created the structure of the present Constituent Assembly as part of its plan.

- अगस्त प्रस्ताव 1940 में पहली बार संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश सरकार ने आधिकारिक रुप से स्वीकार कर लिया।
- क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में स्पष्ट रुप से संविधान सभा की रुपरेखा की बात कही गयी है।
- 1946 में ब्रिटिश मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल ने अपनी योजना के अंतर्गत वर्तमान संविधान सभा की संरचना बनाई थी।

Cabinet mission plan

- After studying the report of the British Parliamentary Delegation, a three-tier delegation came to India in 1946, known as the Cabinet Mission.
- Cabinet Mission President Pethick Lawrence (Secretary of India) and Britain - Trade Board President Stafford Cripps and Naval Chairman AB Alexander was a member.

कैबिनेट मिशन योजना

- ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधिमंडल की रिपोर्ट का अध्यन करने के पश्चात 1946 में एक त्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भारत आया, जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं।
- कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस (भारत सचिव) व ब्रिटेन – व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष स्टेफर्ड क्रिप्स तथा नौसेना अध्यक्ष ए.बी. एलेक्जेंडर सदस्य थे।

- The basic objective of the Cabinet Mission was to mediate to reach a compromise between the Congress and the Muslim League and to assist the Viceroy in the formation of the Constituent Assembly of India.
- The Constituent Assembly in India was formed indirectly by the state legislatures in 1946 according to the provisions of the Cabinet Mission Plan. The election was divided into only three sects, Muslim Sikhs and other Hindus.

- कैबिनेट मिशन का मूल उद्देश्य कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता कराने के लिए मध्यस्थता करवाना तथा वायसराय को भारत की संविधान सभा के गठन में सहायता करना था।
- भारत में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के अनुसार अप्रत्यक्ष रुप से राज्यों की विधानसभाओं द्वारा 1946 में किया गया था। निर्वाचन केवल तीन संप्रदायों, मुस्लिम सिख व अन्य हिंदू में विभक्त किया गया था।

- The Chief Commissionary Provinces were also given representation in the Constituent Assembly.
- According to the Cabinet Mission, the number of members of the Constituent Assembly was 389, out of which 292were elected from the provinces and 93 from the princely states, 4 were from the Commissionerate areas. Each province and native princely states were allotted seats in proportion to their population.

- चीफ कमिश्नरी प्रांतो को भी संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था।
- कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 थी, जिनमें 292 प्रांतो में से तथा 93 देशी रियासतो में से चुने जाते थे, 4 कमिश्नरी क्षेत्रों में से थे। प्रत्येक प्रांत और देसी रियासतों को अपनी जनसंख्या के अनुपात में स्थान आवंटित किए गए थे।

- In the Constituent Assembly, representatives were determined on the basis of population (1 on 10 lakhs).
- The number of women in the Constituent Assembly was 9 and the number of members of Scheduled Tribes was 33.

- संविधान सभा में जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि निर्धारित किए गए(१० लाख पर 1)
- संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 9 तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी।

BOON DEFENCE DREAMERS

Various stages and facts of constitution making process

- The first meeting of the Constituent Assembly was held on December 9, 1946, Sachchidananda Sinha was appointed as the temporary chairman of the assembly and was boycotted by the Muslim League.
- On December 11, 1946, Dr. Rajendra Prasad was elected the permanent Speaker of the Constituent Assembly.

संविधान निर्माण प्रक्रिया के विभिन्न चरण एवं तथ्य

- संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर, 1946 को हुई, सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया तथा मुस्लिम लीग ने इसका का बहिष्कार किया था।
- 11 दिसंबर, 1946 को डॉ राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुना गया।

MOB NO -8650779069, 7017964370

- Mr. B. N. Rao was appointed as the Constitutional Advisor to the Constituent Assembly.
- On 13 December 1946, Jawaharlal Nehru started the work of constitution by presenting an objective resolution in the Constituent Assembly, this resolution was passed by the Constituent Assembly on 22 June 1947.

- श्री बी. एन. राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया।
- 13 दिसंबर, 1946 को जवाहरलाल नेहरु ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ किया, यह प्रस्ताव संविधान सभा ने 22 जून 1947 को पारित कर दिया।

- Various committees for constitution making, such as Procedure Committee, Negotiation Committee, Steering Committee Working Committee, Constitution Committee, Flag

- संविधान निर्माण के लिए विभिन्न समितियां, जैसे प्रक्रिया समिति, वार्ता समिति, संचालन समिति कार्य समिति, संविधान समिति, झंडा

Organization

The Constituent Assembly came into existence in November 1946 under the 'Cabinet Mission Plan'.
Its main features were:

1. Total number = 389.
2. Of these seats, 93 seats were allocated to the princely states and 292 seats were allocated to the rest of British India.
3. Each province and feudal state were allotted seats in proportion to their population.

संगठन

'कैबिनेट मिशन योजना' के तहत संविधान सभा, नवम्बर 1946 में अस्तित्व में आया.
इसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थीं:

1. कुल संख्या = 389.
2. इन सीटों में से 93 सीट देशी रियासतों को और 292 सीट शेष ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित किए गए थे.
3. प्रत्येक प्रांत और सामंती राज्य को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की गईं थीं.

4. All the seats under British India were divided between Muslims, Sikhs and general people.
5. The election of 4 representatives from each community was done by voting in the Provincial Legislative Assembly.
6. Heads of princely states were empowered to elect their representatives on their own. The election was held in July, August 1946.

4. ब्रिटिश भारत के अंतर्गत सभी सीटों को मुसलमानों, सिखों और सामान्य लोगो के बीच विभाजित किया गया था.
5. प्रत्येक समुदाय से 4 प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय विधान सभा में मतदान द्वारा किया गया था.
6. रियासतों के प्रमुखों को यह अधिकार दिया गया था की वे अपने प्रतिनिधियों का चुनाव स्वयं कर सकें. चुनाव जुलाई अगस्त, 1946 में आयोजित की गई.

- Congress won 208 seats.
- Muslim League won 73 seats.
- Small groups and independents won 15 seats.
- The first meeting was held on 9 December 1946 with only 211 members (which the Muslim League boycotted.)
- The princely states had decided to stay away from the elections, so their seats remained vacant.

- कांग्रेस नें 208 सीटें जीतीं.
- मुस्लिम लीग नें 73 सीटें जीती.
- छोटे समूहों और निर्दलीय समूहों नें 15 सीटें जीती.
- पहली बैठक केवल 211 सदस्यों के साथ 9 दिसंबर 1946 को आयोजित किया गया था जिसका (मुस्लिम लीग नें बहिष्कार किया था.)
- रियासतों नें चुनाव से दूर रहने का फैसला किया था अतः उनकी सीटें खाली रह गईं.

However, after the acceptance of Mountbatten plan on 3 June 1947, people of most of the princely states joined it. The plan was followed by another significant change in which the Constituent Assembly was declared a sovereign body entirely and was accepted as an assembly.

हालांकि, 3 जून, 1947 को माउंटबेटन योजना की स्वीकृति के बाद अधिकांश रियासतों के लोग इसमें शामिल हो गए. इस योजना के बाद एक अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए जिसमे संविधान सभा को पूरी तरह से एक संप्रभु निकाय घोषित किया गया और उसे विधानसभा के रूप में स्वीकार किया गया.

Work

The Constituent Assembly drafted the constitution:

- India's membership of the Commonwealth was approved in May 1949.
- adopted the national flag on 22 July 1947.
- Adopted national song on 24 January 1950.
- The national anthem was adopted on January 24, 1950.
- On 24 January 1950, Dr. Rajendra Prasad was elected as the first President of India.

कार्य

संविधान सभा नें संविधान का मसौदा तैयार किया:

- मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन किया गया.
- 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया.
- 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत अपनाया.
- राष्ट्रीय गान 24 जनवरी, 1950 को अपनाया गया.
- 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉ राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित हुए.

DOON DEFENCE DREAMERS

Draft committee

The drafting committee was formed on August 29, 1947 and was tasked with drafting the new constitution.

The committee had seven members:

1. Dr. BR Ambedkar (Chairman)
2. N. Gopalaswamy Iyengar
3. Dr. Kashmir M. Munshi
4. TT Krishnamachari
5. Syed Mohammad Sadulla
6. N. Madhav Rao
7. Alladi Krishnaswamy Iyer

मसौदा समिति

मसौदा समिति को प्रारूप समिति भी कहा जाता है. इसका गठन 29 अगस्त, 1947 को किया गया था और नए संविधान का मसौदा तैयार करने का काम सौंपा गया था.

समिति के सात सदस्य थे:

1. डॉ बी आर अम्बेडकर (अध्यक्ष)
2. एन गोपालस्वामी अय्यंगर
3. डॉ कश्मीर एम मुंशी
4. टी टी कृष्णमाचारी
5. सैयद मोहम्मद सादुल्ला
6. एन माधव राव
7. अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर

MOB NO -8650779069, 7017964370

The first draft of the constitution was published in February 1948. People discussed this draft for eight months. After discussion, suggestions and proposed amendments were considered and a second draft was prepared by the Assembly. The second draft was published in October 1948. The draft committee had discussed for a total of 141 days and took at least six months to prepare the draft.

संविधान का पहला मसौदा फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया था. लोगों ने इस मसौदे पर आठ महीने तक चर्चा की थी. विचार विमर्श के बाद, सुझावों और प्रस्तावित संशोधनों पर विचार किया गया और एक दूसरा मसौदा विधानसभा द्वारा तैयार किया गया था. दूसरा मसौदा अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया था. मसौदा समिति ने कुल 141 दिनों तक चर्चा की थी और मसौदे को तैयार करने में कम से कम छह महीने का समय लिया था.

The time for enactment and enforcement of the Constitution was on 26 November 1949 and 26 January 1950 respectively. However, the proposal for some parts was implemented only on 26 November 1949 '. The rest of the provisions were gradually implemented in later periods	संविधान के लागू होने और प्रवर्तन होने का समय क्रमशः क्रमशः, 26 नवंबर, 1949 और 26 जनवरी 1950 को था. हालांकि, कुछ भागों के प्रस्ताव को 26 नवम्बर 1949' को ही लागू कर दिया गया था. बाकी के प्रावधानों को बाद के काल में क्रमशः लागू किया गया था

DOON DEFENCE DREAMERS

MOB NO -8650779069, 7017964370

DOON DEFENCE DREAMERS

MOB NO -8650779069, 7017964370

1. Committee on Procedure Rules, headed by * Rajendra Prasad. *
2. Steering Committee, * Chairman- Rajendra Prasad. *
3. Finance and Staff Committee, * Chairman- Rajendra Prasad. *
4. Committee on Credentials, * Chairman - Alladi Krishnaswamy Iyer. *
5. Housing Committee, * Chairman-B. Pattabhi Sitaramaiya. *
6. Committee on Steering, * Chairman-KM. Munshi. *
7. National Flag Committee * Chairman- Rajendra Prasad. *
8. Committee on the functioning of the Constituent Assembly, * Chairman - G.V. Mavalankar. *

1.प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति, जिसके *अध्यक्ष-राजेन्द्र प्रसाद।*
2. संचालन समिति, *अध्यक्ष-राजेन्द्र प्रसाद।*
3. वित्त एवं स्टाफ समिति, *अध्यक्ष-राजेन्द्र प्रसाद।*
4. प्रत्यय-पत्र संबंधी समिति, *अध्यक्ष-अलादि कृष्णास्वामी अय्यर।*
5. आवास समिति, *अध्यक्ष-बी. पट्टाभि सीतारमैय्या।*
6. कार्य संचालन संबंधी समिति, *अध्यक्ष-के.एम. मुन्शी।*
7.राष्ट्रीय ध्वज समिति *अध्यक्ष-राजेन्द्र प्रसाद।*
8. संविधान सभा के कार्यकरण संबंधी समिति, *अध्यक्ष-जी.वी. मावलंकर।*

9. Committee on States, * Chairman-Jawaharlal Nehru. *
10. Advisory Committee on Fundamental Rights, Minorities and Tribal and Excluded Areas, * Chairman- Sardar Vallabhbhai Patel. *
11. Sub-Committee on Fundamental Rights, * Chairman- J.B. Kripalani. *
12. Subcommittee on North East Frontier Tribal Areas and Assam's Excluded and Partially Excluded Areas, * Chairman-Gopinath Bardoloi. *
13. Subcommittee on Excluded and Partially Excluded Areas (except areas of Assam), * Chairman-AV. Thakkar. *
14. Committee on Federal Powers, * Chairman-Jawaharlal Nehru. *
15. Federal Constitution Committee, * Chairman-Jawaharlal Nehru. *

9. राज्यों संबंधी समिति, *अध्यक्ष-जवाहरलाल नेहरू।*

10. मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकारी समिति, *अध्यक्ष-सरदार वल्लभभाई पटेल।*
11. मौलिक अधिकारों संबंधी उप-समिति, *अध्यक्ष-जे.बी. कृपलानी।*
12. पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों और आसाम के अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी उपसमिति, *अध्यक्ष-गोपीनाथ बारदोलोई।*
13. अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों (असम के क्षेत्रों को छोड़कर) संबंधी उपसमिति, *अध्यक्ष-ए.वी. ठक्कर।*
14. संघीय शक्तियों संबंधी समिति, *अध्यक्ष-जवाहरलाल नेहरु।*
15. संघीय संविधान समिति, *अध्यक्ष-जवाहरलाल नेहरु।*

- Members of the Constituent Assembly were elected by the elected members of the Assemblies of the States of India.
- Pandit Jawaharlal Nehru, Dr. Bhimrao Ambedkar, Dr. Rajendra Prasad, Sardar Vallabhbhai Patel, Maulana Abul Kalam Azad etc. were the prominent members of this assembly.
- This Constituent Assembly debated 114 days in 2 years, 11 months, 18 days.

- संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे।
- पं0 जवाहरलाल नेहरू, डॉ भीमराव अम्बेडकर, डॉ राजेन्द्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे।
- इस संविधान सभा ने 2 वर्ष, 11 माह, 18 दिन में कुल 114 दिन बहस की।

- The original constitution of India has only 395 Articles.
- At present, the Indian Constitution has 12 schedules and 22 parts.
- The original Constitution of India had eight schedules, but currently the Indian Constitution has twelve schedules.

- भारत के मूल संविधान में केवल 395 अनुच्छेद ही है।
- वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूची और 22 भाग है
- भारत के मूल संविधान में आठ अनुसूचियाँ थी परन्तु वर्तमान में भारतीय संविधान में बारह अनुसूचियाँ है

- A total of 12 conventions were held in the Constituent Assembly and 284 members signed it on the last day
- 166-day meeting was held to form the constitution and the press and public were free to participate in its meetings. the Constituent Assembly passed
- on 26 November 1949 and it was implemented on 26 January 1950.

- संविधान सभा में कुल 12 अधिवेशन किए तथा अंतिम दिन 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किया
- संविधान बनने में 166 दिन बैठक की गई इसकी बैठकों में प्रेस और जनता को भाग लेने की स्वतन्त्रता थी।
- नवम्बर 1949 को सविधान सभा ने पारित किया और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था।

Sources of the Constitution - The Indian Constitution has borrowed provisions from various countries and amended them in terms of suitability and needs of the country. The structural part of the Constitution of India is derived from the Government of India Act, 1935. Provisions such as the parliamentary system of government and rules of law are derived from the United Kingdom.

संविधान के स्रोत– भारतीय संविधान ने विभिन्न देशों से प्रावधान उधार लिए हैं और देश की उपयुक्तता और जरुरतों के लिहाज से उसमें संशोधन किया है। भारत के संविधान का संरचनात्मक भाग भारत सरकार अधिनियम, 1935 से लिया गया है। सरकार की संसदीय प्रणाली और कानून के नियम जैसे प्रावधान यूनाइटेड किंग्डम से लिए गए हैं।

RS

The constitution of India

The Constitution documents the beliefs and aspirations of people with special legal sanctity. All other laws and customs of the country have to be followed to be valid. The Constitution of India came into force on 26 January 1950 with 395 Articles, 8 Schedules and 22 Parts. It is the most detailed written constitution in the world. Presently, the Constitution of India is 465 articles written in 25 parts and 12 schedules. Many amendments have been made to the constitution from time to time. For example, many changes were made by the 42nd Amendment Act, 1976.

भारत का संविधान

संविधान विशेष कानूनी शुचिता वाले लोगों के विश्वास और आकांक्षाओं का दस्तावेज है। देश के बाकी सभी कानून और रीति– रिवाजों को वैध होने के लिए इसका पालन करना होगा। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था जिसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचि और 22 हिस्से थे। यह दुनिया का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। वर्तमान में, भारत का संविधान 465 अनुच्छेद जो 25 भागों और 12 अनुसूचियों में लिखित है। समय– समय पर संविधान में कई संशोधन किए गए हैं। जैसे, 42 वें संशोधन अधिनियम,1976 द्वारा कई बदलाव किए गए।

MOB NO -8650779069, 7017964370

The features borrowed from the constitution of different countries are as follows:

from the UK

- Nominal Head - President (eg Queen of Britain)
- Cabinet system of ministers
- Prime Minister's post
- Parliamentary Type of Government
- Two house parliament
- More powerful lower house

Council of Ministers to be responsible to the lower house

- Speaker in Lok Sabha

विभिन्न देशों के संविधान से उधार ली गईं विशेषताएं इस प्रकार हैं–

ब्रिटेन से

- नाममात्र का प्रमुख– राष्ट्रपति (जैसे ब्रिटेन की महारानी)
- मंत्रियों की कैबिनेट प्रणाली
- प्रधानमंत्री का पद
- सरकार का संसदीय प्रकार

दो सदन वाली संसद

अधिक शक्तिशाली निचला सदन

- मंत्रि परिषद का निचले सदन के प्रति जिम्मेदार होना
- लोकसभा में अध्यक्ष

From america

- Written constitution

The acting head of the country called the President and will be the supreme commander of the military forces

- Vice-President as the ex-officio President of Rajya Sabha
- Fundamental Rights
- Supreme court
- Provision of states
- Judiciary and independence of judicial review
- Preface
- Removal of Supreme Court and High Court Judges

अमेरिका से

- लिखित संविधान
- देश का कार्यकारी प्रमुख जिसे राष्ट्रपति कहा जाता है और वह सैन्य बलों का सर्वोच्च कमांडर होगा
- राज्य सभा के पदेन अध्यक्ष के तौर पर उप–राष्ट्रपति
- मौलिक अधिकार
- सुप्रीम कोर्ट
- राज्यों का प्रावधान
- न्यायपालिका और न्यायिक समीक्षा की स्वतंत्रता
- प्रस्तावना
- सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के जजों को हटाना

DOON DEFENCE DREAMERS

From the USSR

- Fundamental Duties
- five yearly plan

from Australia

- Concurrent list
- Preface language
- Provisions with reference to trade, commerce & affiliation

from Japan

- Law on which the Supreme Court works

From the constitution of germany

- Suspension of Fundamental Rights during Emergency

From the USSR

- मौलिक कर्तव्य
- पंचवर्षीय योजना

ऑस्ट्रेलिया से

- समवर्ती सूची
- प्रस्तावना की भाषा
- व्यापार, वाणिज्य और मेल–जोल के संदर्भ में प्रावधान

जापान से

- कानून जिस पर सुप्रीम कोर्ट काम करता है

जर्मनी के संविधान से

- आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन

MOB NO -8650779069, 7017964370

from Canada

- Union plan with strong center Distribution of power between the center and states and places. Center has remaining rights

from Ireland

- Concept of Directive Principles of State Policy (Ireland borrowed it from Spain)
- Method of election of President Nomination of members in Rajya Sabha by President

कनाडा से

- सशक्त केंद्र के साथ संघ की योजना
- केंद्र और राज्यों एवं स्थानों के बीच सत्ता का वितरण। केंद्र के पास बाकी के अधिकार

आयरलैंड से

- राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा (आयरलैंड ने इसे स्पेन से उधार लिया था)
- राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति राष्ट्रपति द्वारा राज्य सभा में सदस्यों का नामांकन

Salient Features of the Constitution

Same Constitution for both Union and States - India has only one Constitution for both Union and State. The constitution promotes the integration of ideals of unity and nationalism. A single constitution only empowers the Parliament of India to change the constitution. It empowers Parliament to form a new state or abolish the existing state or change its limits.

संविधान की मुख्य विशेषताएं

संघ और राज्यों दोनों के लिए एक ही संविधान– भारत में संघ और राज्य दोनों ही के लिए एक ही संविधान है। संविधान एकता और राष्ट्रवाद के आदर्शों के सम्मिलन को बढ़ावा देता है। एकल संविधान सिर्फ भारत की संसद को संविधान में बदलाव करने की शक्ति प्रदान करता है। यह संसद को नए राज्य के गठन या मौजूदा राज्य को समाप्त करने या उसकी सीमा में बदलाव करने की शक्ति प्रदान करता है।

Features of Indian Constitution

The Constitution is the fundamental law of any country which determines the outline and main functions of various organs of government. It also establishes a relationship between the government and the citizens of the country. Presently, the Constitution of India is 465 articles written in 25 parts and 12 schedules. However, the constitution has many features such as secular state, federalism, parliamentary government etc.

भारतीय संविधान की विशेषताएं

संविधान, किसी भी देश का मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और मुख्य कार्य का निर्धारण करता है। साथ ही यह सरकार और देश के नागरिकों के बीच संबंध भी स्थापित करता है। वर्तमान में, भारत का संविधान 465 अनुच्छेद जो 25 भागों और 12 अनुसूचियों में लिखित है। हालांकि, संविधान की कई विशेषताएं हैं जैसे धर्मनिरपेक्ष राज्य, संघवाद, संसदीय सरकार इत्यादि ।

Stiffness and Flexibility - The Constitution of India is neither rigid nor flexible. A rigid constitution means that amendments require special procedures while a flexible constitution is one in which amendments can be made easily.

कठोरता और लचीलापन– भारत का संविधान न तो कठोर है और न ही लचीला। कठोर संविधान का अर्थ है कि संशोधन के लिए विशेष प्रक्रियाओं की जरूरत होती है जबकि लचीला संविधान वह होता है जिसमें संशोधन आसानी से किया जा सकता है।

Secular country - The term secular country means that all the religions present in India will get equal protection and support in the country. Furthermore, the government will treat all religions the same and provide them with equal opportunities.	**धर्मनिरपेक्ष देश–** धर्मनिरपेक्ष देश शब्द का अर्थ है कि भारत में मौजूद सभी धर्मों को देशमें समान संरक्षण और समर्थन मिलेगा। इसके अलावा, सरकार सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करेगी और उन्हें एक समान अवसर उपलब्ध कराएगी।

Federalism in India - The Constitution of India provides for the sharing of power between the Union / Central and State Governments. It also fulfills other features of federalism such as the rigidity of the constitution, the written constitution, the two-house legislature, the independent judiciary and the supremacy of the constitution. Therefore, India is a federal nation with a unilateral bias.

भारत में संघवाद– भारत के संविधान में संघ/ केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे का प्रावधान है। यह संघवाद के अन्य विशेषताओं जैसे संविधान की कठोरता, लिखित संविधान, दो सदनों वाली विधायिका, स्वतंत्र न्यायपालिका और संविधान के वर्चस्व, को भी पूरा करता है। इसलिए भारत एकात्मक पूर्वाग्रह वाला एक संघीय राष्ट्र है।

Unified and Independent Judiciary

- The Constitution of India provides for a unified and independent judiciary system. The Supreme Court is the highest court of India. It has authority over all courts of India. It is followed by the High Court, District Court and Lower Court. In order to protect the judiciary from any kind of effect, certain provisions have been made in the constitution such as security of tenure and prescribed conditions of service for judges.

एकीकृत और स्वतंत्र न्यापालिका–

भारत का संविधान एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली प्रदान करता है। सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। इसे भारत के सभी न्यायालयों पर अधिकार प्राप्त है। इसके बाद उच्च न्यायालय, जिला अदालत और निचली अदालत का स्थान है। किसी भी प्रकार के प्रभाव से न्यायपालिका की रक्षा के लिए संविधान में कुछ प्रावधान बनाए गए हैं जैसे कि जजों के लिए कार्यकाल की सुरक्षा और सेवा की निर्धारित शर्तें आदि।

Parliamentary form of government

Parliamentary form of government in India. India has a legislature with two houses - Lok Sabha and Rajya Sabha. In the parliamentary form of government, there is no clear distinction between the powers of legislative and executive organs. In India, the head of the government is the Prime Minister.

सरकार का संसदीय स्वरूप–

भारत में सरकार का संसदीय स्वरूप है। भारत में दो सदनों लोकसभा और राज्य सभा, वाली विधायिका है। सरकार के संसदीय स्वरूप में, विधायी और कार्यकारिणी अंगों की शक्तियों में कोई स्पष्ट अंतर नहीं है। भारत में, सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है।

Single Citizenship - The Constitution of India grants single citizenship to every person in the country. No state in India can discriminate on the basis of being a resident of another state. Also, in India, any person has the right to go to any part of the country and live anywhere within the border of India except in a few places.

एकल नागरिकता– भारत का संविधान देश के प्रत्येक व्यक्ति को एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारत में कोई भी राज्य किसी अन्य राज्य के वासी होने के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। इसके अलावा, भारत में, किसी भी व्यक्ति को देश के किसी भी हिस्से में जाने और कुछ स्थानों को छोड़कर भारत की सीमा के भीतर कहीं भी रहने का अधिकार है।

Schedules

The original Constitution of India originally had eight schedules but currently the Indian Constitution has twelve schedules. The Constitution was incorporated by the Ninth Schedule First Constitution Amendment 1951, 10th Schedule 52nd Constitution Amendment 1985, 11th Schedule 73rd Constitution Amendment 1992 and Outer Schedule 74th Constitution Amendment 1992.

अनुसूचियाँ

भारत के मूल संविधान में मूलतः आठ अनुसूचियाँ थीं परन्तु वर्तमान में भारतीय संविधान में बारह अनुसूचियाँ हैं। संविधान में नौवीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951, 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985, 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 एवं बाहरवीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा सम्मिलित किया गया।

- **First Schedule –**

(Articles 1 and 4) - State and Union Territory Description.

- **Second Schedule –**

[Articles 59 (3), 65 (3), 75 (6), 97, 125,148 (3), 158 (3), 164 (5), 186 and 221]

Salaries and allowances of Chief Officers

Part-A: Salaries and allowances of President and Governor,

- **पहली अनुसूची -**

(अनुच्छेद 1 तथा 4) - राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन।

- **दूसरी अनुसूची –**

[अनुच्छेद 59(3), 65(3), 75(6),97, 125,148(3), 158(3),164(5),186 तथा 221]

मुख्य पदाधिकारियों के वेतन-भत्ते

भाग-क : राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन-भत्ते,

Part-B: Salaries and allowances of Speaker and Deputy Speaker of Lok Sabha and Vidhan Sabha, Chairman and Deputy Chairman of Rajya Sabha and Legislative Council

Part-C: Salaries and allowances of judges of the Supreme Court,

Part-D: Salaries and allowances of Comptroller and Auditor General of India.

भाग-ख : लोकसभा तथा विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, राज्यसभा तथा विधान परिषद् के सभापति तथा उपसभापति के वेतन-भत्ते,

भाग-ग : उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन-भत्ते,

भाग-घ : भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के वेतन-भत्ते।

MOB NO -8650779069, 7017964370

Third Schedule –

[Articles 75 (4), 99, 124 (6), 148 (2), 164 (3), 188 and 219] - Affidavits of oaths for members, ministers, presidents, vice presidents, judges, etc. The formats are given.

Fourth Schedule –

[Article 4 (1), 80 (2)] - Allocation of seats in Rajya Sabha from States and Union Territories.

तीसरी अनुसूची –

[अनुच्छेद 75(4),99, 124(6),148(2), 164(3),188 और 219] - व्यवस्थापिका के सदस्य, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों आदि के लिए शपथ लिए जानेवाले प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए हैं।

चौथी अनुसूची –

[अनुच्छेद 4(1),80(2)] - राज्यसभा में स्थानों का आबंटन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से।

Fifth Schedule –

[Article 244 (1)] - Provisions relating to the administration and control of Scheduled Areas and Scheduled Tribes.

Sixth Schedule-

[Article 244 (2), 275 (1)] - Provisions regarding administration of tribal areas of the states of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram.

Seventh Schedule –

[Article 246] - List-1 Union List, List-2 State List, List-3 Concurrent List related to distribution of subjects.

पाँचवी अनुसूची –

[अनुच्छेद 244(1)] - अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जन-जातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित उपबंध।

छठी अनुसूची-

[अनुच्छेद 244(2), 275(1)] - असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उपबंध।

सातवीं अनुसूची –

[अनुच्छेद 246] - विषयों के वितरण से संबंधित सूची-1 संघ सूची, सूची-2 राज्य सूची, सूची-3 समवर्ती सूची।

DOON DEFENCE DREAMERS

Eighth Schedule –

[Article 344 (1), 351] - Languages - 22 languages mentioned.

Ninth Schedule –

[Article 31B] - Valid enactment of certain land reforms Acts. First added by the Constitution Amendment (1951).

Tenth Schedule –

[Article 102 (2), 191 (2)] - Added by the 52nd Constitutional Amendment (1985) on the basis of provision and change of party changes.

आठवीं अनुसूची –

[अनुच्छेद 344(1), 351] - भाषाएँ - 22 भाषाओं का उल्लेख।

नवीं अनुसूची –

[अनुच्छेद 31 ख] - कुछ भूमि सुधार संबंधी अधिनियमों का विधिमान्य करण।पहला संविधान संशोधन (1951) द्वारा जोड़ी गई ।

दसवीं अनुसूची –

[अनुच्छेद 102(2), 191(2)] - दल परिवर्तन संबंधी उपबंध तथा परिवर्तन के आधार पर 52वें संविधान संशोधन (1985) द्वारा जोड़ी गई ।

MOB NO -8650779089, 7017964370

Eleventh Schedule –

[Article 243G] - This Schedule relating to Panchayati Raj / Zilla Panchayat was added to the Constitution by 73rd Constitutional Amendment (1992).

Twelfth Schedule –

It describes the municipality; This schedule was added to the Constitution by the 74th Constitutional Amendment.

ग्यारहवीं अनुसूची –

[अनुच्छेद 243 छ] - पंचायती राज/ जिला पंचायत से सम्बन्धित यह अनुसूची संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन (1992) द्वारा जोड़ी गई।

बारहवीं अनुसूची –

इसमे नगरपालिका का वर्णन किया गया हैं ; यह अनुसूची संविधान में 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ी गई।

Part of Indian Constitution

The Indian Constitution is divided into 22 parts and has 395 Articles and 12 Schedules.

Part 1-
Union and its territories (Articles 1-4)

Part 2 –
citizenship (Articles 5-11)

Part 3 –
Fundamental Rights (Articles 12 - 35)

भारतीय संविधान के भाग

भारतीय संविधान 22 भागों में विभजित है तथा इसमे 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां हैं।

भाग 1-
संघ और उसके क्षेत्र (अनुच्छेद 1-4)

भाग 2-
नागरिकता (अनुच्छेद 5-11)

भाग 3-
मूलभूत अधिकार (अनुच्छेद 12 - 35)

Part 7-

Rep. By the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, (Article 238)

Part 8 -

Union Territories (Articles 239-242)

Part 9-

Panchayat (Articles 243– 243O)

Part 9A-

Municipalities (Articles 243P - 243ZG)

भाग 7-

संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा निरसित (अनुचछेद 238)

भाग 8-

संघ राज्य क्षेत्र (अनुच्छेद 239-242)

भाग 9-

पंचायत (अनुच्छेद 243- 243O)

भाग 9A-

नगरपालिकाएं (अनुच्छेद 243P - 243ZG)

POON DEFENCE DREAMERS

Part 10 -
Scheduled and Tribal Areas (Articles 244 - 244A)

Part 11 -
Relations between the Union and the States (Articles 245 - 263)

Part 12 -
Finance, Property, Contracts and Litigation (Articles 264 - 300A

भाग 10-
अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र (अनुच्छेद 244 - 244A)

भाग 11-
संघ और राज्यों के बीच संबंध (अनुच्छेद 245 - 263)

भाग 12-
वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और वाद (अनुच्छेद 264 -300A)

MOB NO -8650779069, 7017964370

Part 4- Directive Principles of State Policy (Articles 36 - 51)	**भाग 4-** राज्य के नीति निदेशक तत्व (अनुच्छेद 36 - 51)
Part 4A- Fundamental Duties (Article 51A)	**भाग 4A-** मूल कर्तव्य (अनुच्छेद 51A)
Part 5 – Union (Articles 52-151)	**भाग 5-** संघ (अनुच्छेद 52-151)
Part 6- states (Articles 152 -237)	**भाग 6-** राज्य (अनुच्छेद 152 -237)

Part 13-

Trade, commerce and intercourse within the territory of India (Articles 301 - 307)

Part 14 -

Services under the Union and the States (Articles 308 -323)

Part 14-

A Tribunal (Articles 323A - 323B)

Part 15 -

Election (Articles 324 -329A)

भाग 13-

भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम (अनुच्छेद 301 - 307)

भाग 14-

संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं (अनुच्छेद 308 -323)

भाग 14A-

अधिकरण (अनुच्छेद 323A - 323B)

भाग 15-

निर्वाचन (अनुच्छेद 324 -329A)

Part 16- Special provision for certain classes (Articles 330- 342)	**भाग 16-** कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध सम्बन्ध (अनुच्छेद 330- 342)
Part 17- Official Language (Articles 343-351)	**भाग 17-** राजभाषा (अनुच्छेद 343- 351)
Part 18- Emergency provisions (Articles 352 - 360)	**भाग 18-** आपात उपबन्ध (अनुच्छेद 352 - 360)
Part 19- published (Articles 361 -367)	**भाग 19-** प्रकीर्ण (अनुच्छेद 361 -367)

Part 20-
Amendment Article of the Constitution

Part 21-
Temporary Transitional and Special Provisions (Articles 369 - 392)

Part 22-
abbreviation, commencement, authorized text in Hindi and repeal (Articles 393 - 395)

भाग 20-
संविधान के संशोधन अनुच्छेद

भाग 21-
अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपबन्ध (अनुच्छेद 369 - 392)

भाग 22-
संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ और निरसन(अनुच्छेद 393 - 395)

What is the Preamble of the Indian Constitution?

The Preamble is called the introduction letter of the Indian Constitution. It was amended by the 42nd Constitutional Amendment Act in 1976, in which three new words socialist, secular and integrity were added. The Preamble secures justice, freedom, equality for all citizens of India and promotes brotherhood among the people.

भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है?

प्रस्तावना(Preamble), को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है. सन 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें संशोधन किया गया था जिसमें तीन नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था. प्रस्तावना, भारत के सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता को सुरक्षित करती है और लोगों के बीच भाई चारे को बढावा देती है.

The Preamble of the Indian Constitution is based on the 'objective resolution' introduced by Jawaharlal Nehru. The preamble was first included in the US Constitution, after which many countries have adopted it. Constitution expert Nani Palkiwala has called the Preamble of the Constitution as the introduction letter of the Constitution.

भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाये गये पेश किया गये 'उद्देश्य प्रस्ताव 'पर आधारित है. प्रस्तावना को सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में शामिल किया गया था, इसके बाद कई देशों ने इसे अपनाया है. संविधान विशेषज्ञ नानी पालकीवाला ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है.

THE CONSTITUTION OF INDIA

PREAMBLE

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a [1]**[SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC]** and to secure to all its citizens :

JUSTICE, social, economic and political;

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;

EQUALITY of status and of opportunity and to promote among them all;

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the [2][unity and integrity of the Nation];

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949 do **HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.**

हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को :

न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक,

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता,

प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा,

उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करनेवाली बंधुता बढाने के लिए,

MOB NO -8650779069, 7017964370

DOON DEFENCE DREAMERS

MOB NO -8650779069, 7017964370

DOON DEFENCE DREAMERS

MOB NO -8650779069, 7017964370

The four components of the preamble are as follows:

1. This indicates that the source of the authority of the Constitution lies with the people of India.

दृढ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई0 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।“

प्रस्तावना के चार घटक इस प्रकार हैं:

1. यह इस बात की ओर इशारा करता है कि संविधान के अधिकार का स्रोत भारत के लोगों के साथ निहित है।

2. It declares that India is a socialist, secular, secular, democratic and republican nation.

3. It secures justice, freedom, equality for all citizens and promotes brotherhood to maintain the unity and integrity of the nation.

4. It mentions the date (26 November 1949) on which the Constitution was adopted.

The explanation of the original words of the preface is as follows:

2. यह इस बात की घोषणा करता है कि भारत एक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र राष्ट्र है।

3. यह सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता को सुरक्षित करता है तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए भाईचारे को बढ़ावा देता है।

4. इसमें उस तारीख (26 नवंबर 1949) का उल्लेख है जिस दिन संविधान को अपनाया गया था.

प्रस्तावना के मूल शब्दों की व्याख्या इस प्रकार है:

Socialist

The term 'socialist' was added to the preamble by the 42nd Amendment Act of 1976 of the Constitution. Socialism means that socialists achieve through democratic means. India has adopted 'democratic socialism'. Democratic socialism believes in a mixed economy where both private and public sectors travel shoulder to shoulder. Its goal is to end poverty, ignorance, disease and inequality of opportunity.

संप्रभुता (Sovereignty)

प्रस्तावना यह दावा करती है कि भारत एक संप्रभु देश है। सम्प्रुभता शब्द का अर्थ है कि भारत किसी भी विदेशी और आंतरिक शक्ति के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त सम्प्रुभता सम्पन्न राष्ट्र है। भारत की विधायिका को संविधान द्वारा तय की गयी कुछ सीमाओं के विषय में देश में कानून बनाने का अधिकार है।

Republic

In a republic or republic, the head of state is directly or indirectly elected by the people. The President of India is elected indirectly by the people; Which means through its representatives in Parliament and State Legislatures. Furthermore, in a republic, political sovereignty is vested in the hands of the people rather than a king.

गणराज्य (Republic)

एक गणतंत्र अथवा गणराज्य में, राज्य का प्रमुख प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लोगों द्वारा चुना जाता है। भारत के राष्ट्रपति को लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है; जिसका अर्थ संसद और राज्य विधानसभाओं में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से है। इसके अलावा, एक गणतंत्र में, राजनीतिक संप्रभुता एक राजा की बजाय लोगों के हाथों में निहित होती है।

MOB NO -8650779069, 7017964370

Secular

The word 'secular' was added to the preamble by the 42nd Amendment Act of 1976 of the Constitution. The word secular in the Indian Constitution means that all religions in India have the right to equality, protection and support from the states. Articles 25 to 28 of Part III of the Constitution ensure freedom of religion as a fundamental right.

धर्मनिरपेक्ष (Secular)

'धर्मनिरपेक्ष' शब्द संविधान के 1976 में हुए 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है कि भारत में सभी धर्मों को राज्यों से समानता, सुरक्षा और समर्थन पाने का अधिकार है। संविधान के भाग III के अनुच्छेद 25 से 28 एक मौलिक अधिकार के रूप में धर्म की स्वतंत्रता को सुनिश्चत करता है।

Democratic

The word democratic means that the Constitution is established as a government which is elected and empowered by the people through elections. The preamble confirms that India is a democratic country, which means that the supreme power rests with the people. The term democracy is used as a prelude to political, economic and social democracy. Responsible representatives of the government, universal adult suffrage, one vote one value, independent judiciary etc. are the characteristics of Indian democracy.

लोकतांत्रिक (Democratic)

लोकतांत्रिक शब्द का अर्थ है कि संविधान की स्थापना एक सरकार के रूप में होती है जिसे चुनाव के माध्यम से लोगों द्वारा निर्वाचित होकर अधिकार प्राप्त होते हैं। प्रस्तावना इस बात की पुष्टि करती हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जिसका अर्थ है कि सर्वोच्च सत्ता लोगों के हाथ में है। लोकतंत्र शब्द का प्रयोग राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र के लिए प्रस्तावना के रूप में प्रयोग किया जाता है। सरकार के जिम्मेदार प्रतिनिधि, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, एक वोट एक मूल्य, स्वतंत्र न्यायपालिका आदि भारतीय लोकतंत्र की विशेषताएं हैं।

Justice

The preamble encompasses the term justice in three distinct forms — social, economic and political, which have been achieved through various provisions of fundamental and directive principles of policy.
Social justice in the Preamble refers to the creation of a more equitable society by the Constitution on the basis of equal social status. Economic justice refers to the equal distribution of wealth among different members of society, so that wealth cannot be concentrated in a few hands. Political justice refers to the right of all citizens to equal political participation. The Indian Constitution provides universal adult suffrage and equal value for every vote.

न्याय (Justice)

प्रस्तावना में न्याय शब्द को तीन अलग-अलग रूपों में समाविष्ट किया गया है- सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, जिन्हें मौलिक और नीति निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से हासिल किया गया है।
प्रस्तावना में सामाजिक न्याय का अर्थ संविधान द्वारा बराबर सामाजिक स्थिति के आधार पर एक अधिक न्यायसंगत समाज बनाने से है। आर्थिक न्याय का अर्थ समाज के अलग-अलग सदस्यों के बीच संपति के समान वितरण से है जिससे संपति कुछ हाथों में ही केंद्रित नहीं हो सके। राजनीतिक न्याय का अर्थ सभी नागरिकों को राजनीतिक भागीदारी में बराबरी के अधिकार से है। भारतीय संविधान प्रत्येक वोट के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और समान मूल्य प्रदान करता है।

Liberty

Freedom means a person who is freed or freed from dictatorial slavery, torture, imprisonment, dictatorship etc. due to lack of compulsion or domination of activities.

Equality

Equality means abolition of privilege or discrimination against any section of societyssss

स्वतंत्रता (Liberty)

स्वतंत्रता का तात्पर्य एक व्यक्ति जो मजबूरी के अभाव या गतिविधियों के वर्चस्व के कारण तानाशाही गुलामी, चाकरी, कारावास, तानाशाही आदि से मुक्त या स्वतंत्र कराना है।

समानता (Equality)

समानता का अभिप्राय समाज के किसी भी वर्ग के खिलाफ विशेषाधिकार या भेदभाव को समाप्त कर

Part 1: Union and its territories

Article -1. Name and territory of the Union - (1) India, that is, India shall be the Union of States.

(2) States and their territories shall be those specified in the First Schedule.

(3) In the territory of India,

(A) States territories,

2 [(b) the Union territory specified in the first schedule, and

(C) such other territories as may be acquired.

भाग 1: संघ और उसके क्षेत्र

अनुच्छेद-1. संघ का नाम और राज्यक्षेत्र- -(1) भारत, अर्थात् इंडिया, राज्यों का संघ होगा।

(2) राज्य और उनके राज्यक्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं।

(3) भारत के राज्यक्षेत्र में,

(क) राज्यों के राज्यक्षेत्र,

2[(ख) पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्यक्षेत्र, और

(ग) ऐसे अन्य राज्यक्षेत्र जो अर्जित किए जाएँ, समाविष्ट होंगे।

Article -2. Entry or establishment of new states - Parliament may, by law, enter or establish new states in the Union on such terms and conditions as it thinks fit. 32 A. [Sikkim to be associated with the Union. - Repealed by section 5 of the Constitution (Thirty-sixth Amendment) Act, 1975 (wef 26-4-1975).	**अनुच्छेद-2.** नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना--संसद, विधि द्वारा, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। 32क. [सिक्किम का संघ के साथ सहयुक्त किया जाना। --संविधान (छत्तीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1975 की धारा 5 द्वारा (26-4-1975 से) निरसित।

Article -4. This article specifies that the laws provided in article 2 and 3, admission/establishment of new states and alternation of names , areas and boundaries etc. of established states, are not to be considered amendments of the Constitution under article 368, which means these can be passed without resorting to any special procedure and by simple majority

अनुच्छेद-4. यह लेख निर्दिष्ट करता है कि अनुच्छेद 2 और 3 में प्रदान किए गए कानून, नए राज्यों के प्रवेश / स्थापना और स्थापित राज्यों के नाम, क्षेत्रों और सीमाओं आदि के विकल्प, को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के संशोधनों पर विचार नहीं किया जाना है, जिसका अर्थ है कि ये कर सकते हैं बिना किसी विशेष प्रक्रिया का सहारा लिए और साधारण बहुमत से पारित किया जाए

Article -3. Formation of new states and changes in areas, boundaries or names of existing states - Parliament, by law--
(A) create a new state by separating its territory from a state or by combining two or more states or parts of states or by combining a territory with a part of a state;
(B) increase the area of a state;
(C) reduce the area of a state;
(D) change the boundaries of a state;
(4) Can change the name of a state:

अनुच्छेद-3. नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन--संसद, विधि द्वारा--
(क) किसी राज्य में से उसका राज्यक्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्यक्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी;
(ख) किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी;
(ग) किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी;
(घ) किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी;
(ङ) किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी:

STATE REORGANISATION

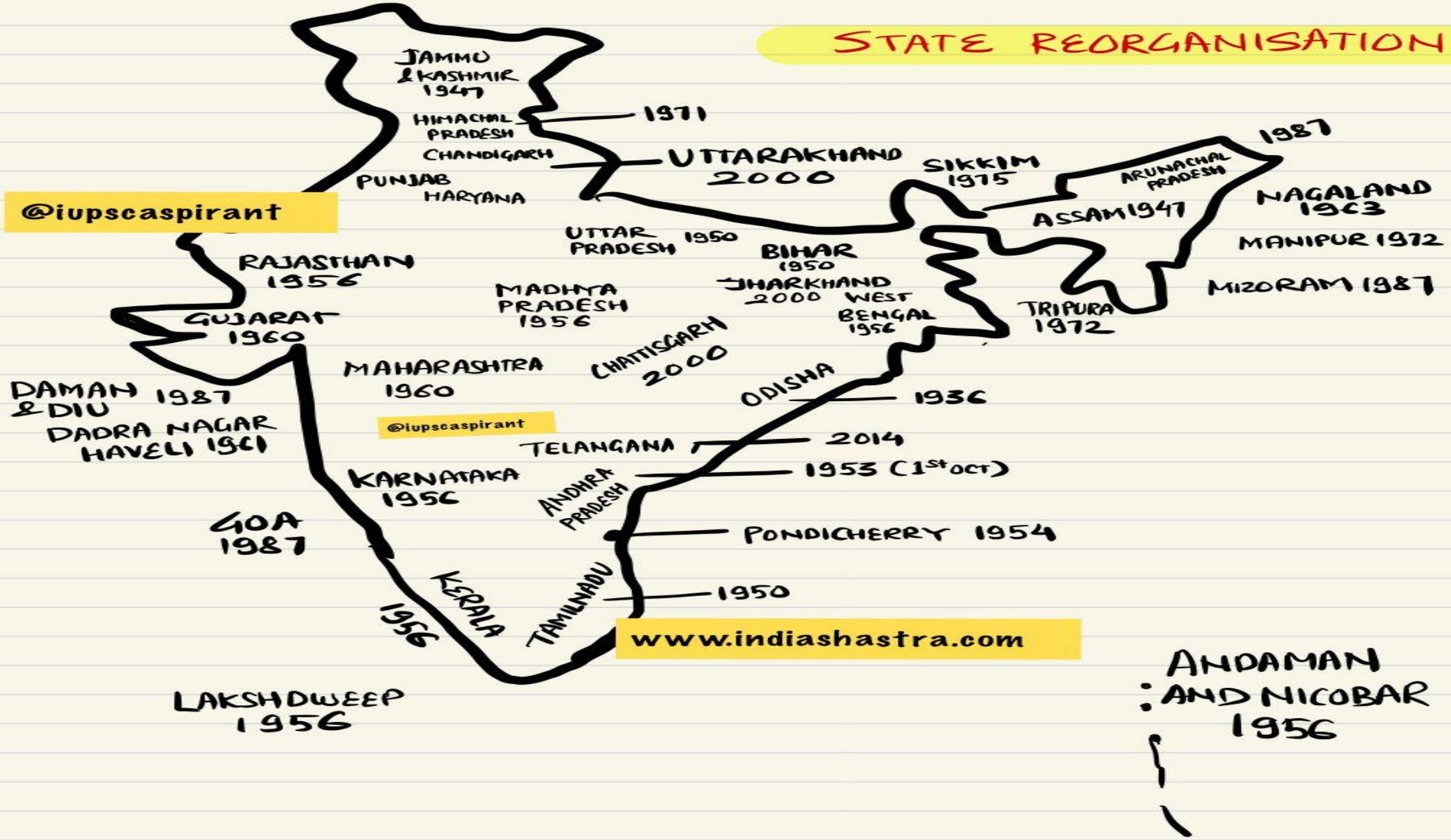

DOON DEFENCE DREAMERS

MOB NO -8650779069, 7017964370

Indian state reorganization commission At the time of independence, 549 princely states joined India; the remaining three princely states (Hyderabad, Junagadh and Jammu & Kashmir) refused to join India, but later they were merged with India in the following ways.	भारतीय राज्य पुनर्गठन आयोग स्वतंत्रता के समय, 549 रियासतें भारत में शामिल हुईं; शेष तीन रियासतों (हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू और कश्मीर) ने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में उन्हें निम्नलिखित तरीकों से भारत में मिला दिया गया।

Hyderabad (Hyderabad) – By military action
Junagadh – by referendum
Jammu Kashmir – By merger letter
In 1950 the Indian Constitution divided India into four classes.
Part – A — Where was governor's rule in British India.
Part – B — Imperial Government with the State Legislature.
Part – C — the rule of the Chief Commissioner of British India and some of the imperial rule. There were 10 states in which there was centralized rule.
Part – D — In this part only Andaman and Nicobar is kept.

हैदराबाद (हैदराबाद) - सैन्य कार्रवाई द्वारा
जूनागढ़ - जनमत संग्रह द्वारा
जम्मू कश्मीर - विलय पत्र द्वारा
1950 में भारतीय संविधान ने भारत को चार वर्गों में विभाजित किया।
भाग - ए - ब्रिटिश भारत में राज्यपाल का शासन कहाँ था
भाग - बी - राज्य विधानमंडल के साथ शाही सरकार।
भाग - सी - ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन और कुछ शाही शासन। 10 राज्य ऐसे थे जिनमें केंद्रीकृत शासन था।
भाग - डी - इस भाग में केवल अंडमान और निकोबार को रखा जाता है।

DOON DEFENCE DREAMERS

Dhar Commission Committee

After the independence of India, the demands of the restructuring of the states on the basis of language in the country began to rise. In June 1948, the linguistic commission was appointed by the Government of India under the chairmanship of S.K Dhar. The Commission presented its report in December 1948, in which it recommended that the reorganization of states should not be based on language but on the basis of administrative reform. This resulted in excessive dissatisfaction in the states and the Government of India formed the December 1948, Linguistic Provincial Committee / JVP Committee.

धर आयोग की समिति

भारत की स्वतंत्रता के बाद, देश में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने लगी। जून 1948 में, एस.के. धर की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा भाषाई आयोग की नियुक्ति की गई थी। आयोग ने दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें उसने सिफारिश की कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा पर आधारित न होकर प्रशासनिक सुधार के आधार पर होना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप राज्यों में अत्यधिक असंतोष हुआ और भारत सरकार ने दिसंबर 1948, भाषाई प्रांतीय समिति / JVP समिति का गठन किया।

Linguistic provincial committee / JVP committee

A committee was formed in December 1948 under the chairmanship of Jawaharlal Nehru, Vallabh Bhai Patel and Pattabhisitaraiya, which is also known as JVP Committee. The committee submitted its report in April 1949 and it also recommended that the reorganization of states should not be based on language but on the basis of administrative reform.

भाषाई प्रांतीय समिति / JVP समिति

दिसंबर 1948 में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभिषटरैया की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसे जेवीपी समिति के रूप में भी जाना जाता है। समिति ने अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और यह भी सिफारिश की कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा पर आधारित न होकर प्रशासनिक सुधार के आधार पर होना चाहिए।

But there was a long struggle against this and after 56 days of hunger strike, Congress leader Potti Sriramulu passed away, causing the movement to grow further. Therefore, forcing the Indian government to comply with the formation of language in October 1953, the first state was formed and Andhra Pradesh was formed by separating the Telugu-speaking state from Madras.

लेकिन इसके खिलाफ एक लंबा संघर्ष हुआ और 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद, कांग्रेस नेता पोटी श्रीरामुलु का निधन हो गया, जिससे आंदोलन और बढ़ गया। इसलिए, अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के निर्माण के लिए मजबूर करने के लिए, पहले राज्य का गठन किया गया और आंध्र प्रदेश का गठन तेलुगु भाषी राज्य को मद्रास से अलग करके किया गया।

ERS

Fazal Ali Commission

After the formation of Andhra Pradesh, the demand for the formation of new states on the basis of language in other states began to increase. Hence, in December 1953, the Government of India formed a three-member committee under the chairmanship of Fazal Ali, of which there were three members

फजल अली आयोग

आंध्र प्रदेश के गठन के बाद, अन्य राज्यों में भाषा के आधार पर नए राज्यों के गठन की मांग बढ़ने लगी। इसलिए, दिसंबर 1953 में, भारत सरकार ने फ़ज़ल अली की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया, जिसके तीन सदस्य थे -

MOB NO -8650779069, 7017964370

Fazal Ali (President) K.M Panikkar H N Kunjuru The Fazal Ali Commission submitted its report in 1955 and acknowledged that language should be made the main basis in the restructuring of states, but this committee rejected a state one language theory. Four important factors for state restructuring –	फ़ज़ल अली (अध्यक्ष) के एम पणिक्कर एच एन कुंजुरु फजल अली आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और स्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए, लेकिन इस समिति ने एक राज्य एक भाषा सिद्धांत को खारिज कर दिया। राज्य पुनर्गठन के चार महत्वपूर्ण कारक -

Protection of India's integrity and security
Linguistic and cultural uniformity
Financial, Administrative and Economic Systems
Promotion of people's welfare scheme in all the states and and in the entire country
On the advice of Fazal Ali Commission, the State Reorganization Commission (1956) was established by the Government of India by the 7th Constitution Amendments Act, 1956.
As a result, 14 states and 6 union territories were formed on November 1, 1956

भारत की अखंडता और सुरक्षा का संरक्षण
भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता
वित्तीय, प्रशासनिक और आर्थिक प्रणाली
सभी राज्यों और पूरे देश में लोगों की कल्याणकारी योजना को बढ़ावा देना
फजल अली आयोग की सलाह पर, 7 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 के द्वारा भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग (1956) की स्थापना की गई।
इसके परिणामस्वरूप, 1 नवंबर, 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया।

Constitution Part II has the following articles:

Article 5. Citizenship at the commencement of the Constitution.

Article 6. Rights of citizenship of certain persons who have migrated to India from Pakistan.

Article 7. Rights of citizenship of certain migrants to Pakistan.

संविधान भाग II में निम्नलिखित अनुच्छेद हैं:

अनुच्छेद 5. संविधान के प्रारंभ में नागरिकता।

अनुच्छेद 6. कुछ ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार जो पाकिस्तान से भारत आए हैं।

अनुच्छेद 7. पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकार।

Article 8. Rights of citizenship of certain persons of Indian origin residing outside India.	**अनुच्छेद 8.** भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार।
Article 9. Persons voluntarily acquiring citizenship of a oreign State not to be citizens.	**अनुच्छेद 9.** किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की स्वेच्छा से नागरिक होना।
Article 10. Continuance of the rights of citizenship.	**अनुच्छेद 10.** नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता।

Article 11.

Parliament to regulate the right of citizenship by law. The dictionary meaning of a citizen is a native or naturalized member of a state or other political community. The citizenship is a state of being a citizen of a particular social, political, or national community.

अनुच्छेद 11

कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने के लिए संसद।
नागरिक का शब्दकोष एक राज्य या अन्य राजनीतिक समुदाय का मूल या प्राकृतिक सदस्य है। नागरिकता एक विशेष सामाजिक, राजनीतिक या राष्ट्रीय समुदाय का नागरिक होने की अवस्था है।

POON DEFENCE DREAMERS

At the commencement of this Constitution, every person who has his domicile in the territory of India and-
who was born in the territory of India; or
either of whose parents was born in the territory of India; or
who has been ordinarily resident in the territory of India for not less than five years immediately preceding such commencement, shall be a citizen of India.

इस संविधान के प्रारंभ में, प्रत्येक व्यक्ति जो भारत के क्षेत्र में अपना अधिवास रखता है और-
जो भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ था; या
जिनके माता-पिता भारत के क्षेत्र में पैदा हुए थे; या
जो पांच साल से कम समय के लिए भारत के क्षेत्र में सामान्य रूप से निवास करते हैं, ऐसी शुरूआत से पहले तुरंत भारत के नागरिक होंगे।

MOB NO -8650779069, 7017964370

Article5 refers to the Citizenship on January 26, 1950. This article provided that the ordinary resident in the territory of India since or before January 26, 1945 were deemed to be Indian Citizens. But what about the people who came from Pakistan after 1947 partition? This is clarified in Article 6.

Article5 26 जनवरी 1950 को नागरिकता को संदर्भित करता है। इस लेख में यह प्रावधान किया गया था कि 26 जनवरी, 1945 से पहले या उससे पहले के भारत में सामान्य निवासी को भारतीय नागरिक माना जाता था। लेकिन 1947 के विभाजन के बाद पाकिस्तान से आए लोगों का क्या? यह अनुच्छेद 6 में स्पष्ट किया गया है।

Citizenship Amendment Bill, 2019

The Citizenship Amendment Bill is also abbreviated as CAB and this bill has been in dispute since the beginning.

What is the Citizenship Amendment Bill, 2019?

The bill proposes granting Indian citizenship to people belonging to six minority communities (Hindus, Buddhists, Jains, Parsis, Christians and Sikhs) from Bangladesh, Afghanistan and Pakistan.

नागरिकता संशोधन विधेयक, 2019

नागरिकता संशोधन विधेयक को संक्षेप में CAB भी कहा जाता है और यह बिल शुरू से ही विवाद में रहा है.

नागरिकता संशोधन विधेयक, 2019 क्या है?

इस विधेयक में बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के छह अल्पसंख्यक समुदायों (हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई और सिख) से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रस्ताव है.

DOON DEFENCE DREAMERS

MOB NO -8650779069, 7017964370

DOON DEFENCE DREAMERS

MOB NO -8650779069, 7017964370

According to the current law, it is mandatory for any person to stay in India for at least 11 years to take Indian citizenship. In this bill, this period has been reduced from 11 to six years for the minorities of neighbouring countries.

For this, some amendments will be made in the Citizenship Act, 1955 so that they can be given legal help to give citizenship to the people.

मौजूदा क़ानून के मुताबिक़ किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता लेने के लिए कम से कम 11 साल भारत में रहना अनिवार्य है. इस विधेयक में पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों के लिए यह समयावधि 11 से घटाकर छह साल कर दी गई है.
इसके लिए नागरिकता अधिनियम, 1955 में कुछ संशोधन किए जाएंगे ताकि लोगों को नागरिकता देने के लिए उनकी क़ानूनी मदद की जा सके.

Under the current law, people who enter illegally in India cannot get citizenship and there is a provision to send them back to their country or to be detained.

Why is there a dispute about the Bill on Citizenship Amendment Bill?

Opposition parties say that this bill is against Muslims and violates Article 14 (Right to Equality) of Indian Constitution.

मौजूदा क़ानून के तहत भारत में अवैध तरीक़े से दाख़िल होने वाले लोगों को नागरिकता नहीं मिल सकती है और उन्हें वापस उनके देश भेजने या हिरासत में रखने के प्रावधान है.
नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर विधेयक को लेकर विवाद क्यों है?

विपक्षी पार्टियों का कहना है कि यह विधेयक मुसलमानों के ख़िलाफ़ है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद-14 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन करता है.

The bill is being opposed by saying how can a secular country discriminate against someone on the basis of religion?

Northeast states of India, Assam, Meghalaya, Manipur, Mizoram, Tripura, Nagaland and Arunachal Pradesh are also strongly opposed to this bill as these states are very close to the border of Bangladesh.

It is being opposed in these states that both Muslims and Hindus have reportedly settled here in large numbers from the neighboring state of Bangladesh.

बिल का विरोध यह कहकर किया जा रहा है कि एक धर्मनिरपेक्ष देश किसी के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव कैसे कर सकता है?

भारत के पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश में भी इस विधेयक का ज़ोर-शोर से विरोध हो रहा है क्योंकि ये राज्य बांग्लादेश की सीमा के बेहद क़रीब हैं.

इन राज्यों में इसका विरोध इस बात को लेकर हो रहा है कि यहां कथित तौर पर पड़ोसी राज्य बांग्लादेश से मुसलमान और हिंदू दोनों ही बड़ी संख्या में आकर बसे हैं.

NRC means National Citizen Register. It can be considered a list of Indian citizens in easy language. The NRC shows who is an Indian citizen and who is not. One whose name is not in this list, is considered as illegal resident.

Assam is the first state in India where the NRC list was updated after the year 1951. The National Citizen Register in Assam was first prepared in 1951 and was the result of the mass movements caused by the alleged infiltration of illegal Bangladeshi migrants there.

एनआरसी यानी नेशनल सिटिज़न रजिस्टर. इसे आसान भाषा में भारतीय नागरिकों की एक लिस्ट समझा जा सकता है. एनआरसी से पता चलता है कि कौन भारतीय नागरिक है और कौन नहीं. जिसका नाम इस लिस्ट में नहीं, उसे अवैध निवासी माना जाता है.

असम भारत का पहला राज्य है जहां वर्ष 1951 के बाद एनआरसी लिस्ट अपडेट की गई. असम में नेशनल सिटिजन रजिस्टर सबसे पहले 1951 में तैयार कराया गया था और ये वहां अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की कथित घुसपैठ की वजह से हुए जनांदोलनों का नतीजा था.

After this mass movement, the Assam Accord was signed and in 1986, the Citizenship Act was amended to make a special provision for Assam.

On 31 August 2019, the final list of NRC was released and 19,06,657 people got out of this list.

इस जन आंदोलन के बाद असम समझौते पर दस्तख़त हुए थे और साल 1986 में सिटिज़नशिप एक्ट में संशोधन कर उसमें असम के लिए विशेष प्रावधान बनया गया.

31 अगस्त 2019 को एनआरसी की आख़िरी लिस्ट जारी की गई और 19,06,657 लोग इस लिस्ट से बाहर हो गए.

What is the Citizenship Act, 1955?

The Citizenship Act, 1955 is a detailed law relating to Indian citizenship. It explains how a person can be given Indian citizenship and what are the necessary conditions for being an Indian citizen.

How many times has the Citizenship Act, 2005 been amended?

The Act has been amended five times (1986, 1992, 2003, 2005 and 2015) so far.

नागरिकता अधिनियम, 1955 क्या है?

नागरिकता अधिनियम, 1955 भारतीय नागरिकता से जुड़ा एक विस्तृत क़ानून है. इसमें बताया गया है कि किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता कैसे दी जा सकती है और भारतीय नागरिक होने के लिए ज़रूरी शर्तें क्या हैं.
नागरिकता अधिनियम, 2005 में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है?

इस अधिनियम में अब तक पांच बार (1986, 1992, 2003, 2005 और 2015) संशोधन किया जा चुका है.

How can Indian citizenship end?	भारतीय नागरिकता ख़त्म कैसे हो सकती है?
Indian citizenship can end on three grounds.	भारतीय नागरिकता तीन आधार पर ख़त्म हो सकती है.
-If someone voluntarily renounces Indian citizenship	-अगर कोई स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता छोड़ दे
-If someone accepts citizenship of another country	-अगर कोई किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर ले
-If the government takes away one's citizenship	-अगर सरकार किसी की नागरिकता छीन ले

After this, in 2005, a meeting chaired by the then Prime Minister Manmohan Singh, along with the Assam government and All Assam Students Union, AASU, the Center also took part.

In this meeting it was decided that NRC should be updated in Assam.

The Supreme Court joined this process for the first time in 2009 and in 2014 ordered the Assam government to complete the process of updating the NRC.

इसके बाद साल 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में असम सरकार और ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन यानी आसू के साथ-साथ केंद्र ने भी हिस्सा लिया था.

इस बैठक में तय हुआ कि असम में एनआरसी को अपडेट किया जाना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट पहली बार इस प्रक्रिया में 2009 में शामिल हुआ और 2014 में असम सरकार को एनआरसी को अपडेट करने की प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया.

Citizenship (Amendment) Act, 2019
Recently the Parliament passed the Citizenship (Amendment) Bill 2019, which has become an Act after getting the approval of the President.

The Citizenship (Amendment) Act, 2019 has been brought in to amend the Citizenship Act, 1955.
The Citizenship Act, 1955 provides various grounds for obtaining citizenship. Such as birth, hereditary, registration, naturalization and region etc.

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019
हाल ही में संसद ने नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2019 पारित किया, जो राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद अधिनियम बन गया है।

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 को नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन करने के लिये लाया गया है।
नागरिकता अधिनियम, 1955 नागरिकता प्राप्त करने के लिये विभिन्न आधार प्रदान करता है। जैसे- जन्म, वंशानुगत, पंजीकरण, देशीयकरण और क्षेत्र इत्यादि।

OCI provides some benefits to the registered system for traveling to India, such as multipurpose, lifetime visas.

However, obtaining Indian citizenship is prohibited for illegal migrants.

Illegal immigrant refers to a foreigner who enters a country without valid travel documents such as a visa and passport or enters the country with valid documents, but remains in the country even after the expiry of the permitted time period .

OCI भारत यात्रा के लिये पंजीकृत प्रणाली को बहुउद्देशीय, आजीवन वीज़ा जैसे कुछ लाभ प्रदान करता है।

हालाँकि अवैध प्रवासियों के लिये भारतीय नागरिकता प्राप्त करना प्रतिबंधित है।

अवैध अप्रवासी से तात्पर्य एक ऐसे विदेशी व्यक्ति से है जो वैध यात्रा दस्तावेज़ों जैसे कि वीज़ा और पासपोर्ट के बिना देश में प्रवेश करता है या फिर वैध दस्तावेज़ों के साथ देश में प्रवेश करता है, लेकिन अनुमत समयावधि समाप्ति के बाद भी देश में रुका रहता है।

Illegal migrants can be prosecuted in India and deported or imprisoned.

In September 2015 and July 2016, the government exempted certain groups of illegal migrants from being imprisoned or deported.

Major provisions of the Amendment Act
As per the amendments made in the Bill, Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis and Christians who came to India from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan on or before 31 December 2014 will not be considered illegal migrants.

अवैध प्रवासी पर भारत में मुकदमा चलाया जा सकता है और उसे निर्वासित या कैद किया जा सकता है।
सितंबर 2015 और जुलाई 2016 में सरकार ने अवैध प्रवासियों के कुछ समूहों को कैद या निर्वासित करने से छूट दी।

संशोधन अधिनियम के प्रमुख प्रावधान
विधेयक में किये गये संशोधन के अनुसार, 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आए हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों एवं ईसाइयों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा।

In order to provide the above benefits to these migrants, the Central Government will also have to provide exemption in the Foreigners Act, 1946 and the Passports (Entry into India) Act, 1920.

The Acts of 1946 and 1920 empowers the Central Government to regulate the entry, exit and residence of foreigners in India.

इन प्रवासियों को उपरोक्त लाभ प्रदान करने के लिये केंद्र सरकार को विदेशी अधिनियम, 1946 और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 में भी छूट प्रदान करनी होगी।

1946 और 1920 के अधिनियम केंद्र सरकार को भारत में विदेशियों के प्रवेश, निकास और निवास को नियंत्रित करने की शक्ति प्रदान करते हैं।

DOON DEFENCE DREAMERS

MOB NO -8650779069, 7017964370

DOON DEFENCE DREAMERS

MOB NO -8650779069, 7017964370

DOON DEFENCE DREAMERS

MOB NO -8650779069, 7017964370